International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

विकसित भारत में ई-गवर्नेंस की भूमिका

प्रो.गोपाल प्रसाद[1], विनय कुमार यादव[2]

[1]आचार्य,राजनीति विज्ञान विभाग ,दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर
[2]शोधार्थी,राजनीति विज्ञान विभाग ,दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर

सारांश (Abstract)
ई-गवर्नेंस आधुनिक भारत की प्रशासनिक प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है, जो शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाता है। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से शासन सेवाओं को सरल, सुलभ और त्वरित बनाता है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन और ई-क्रांति कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से ई-गवर्नेंस को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता दी गई है। इन पहलों ने सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत कर भ्रष्टाचार में कमी, दक्षता में वृद्धि और नागरिकों की सहभागिता निश्चित की है। ई-गवर्नेंस ग्रामीण–शहरी अंतर को समाप्त कर डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है, जिससे हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो सके। आधार, DBT, MyGov, GeM, भारतनेट जैसी योजनाएँ इसके सफल उदाहरण हैं। यद्यपि डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा और तकनीकी साक्षरता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, फिर भी यह प्रणाली भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर कर रही है। इस प्रकार, ई-गवर्नेंस केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को सशक्त करने वाला माध्यम है, जो निष्पक्षता , समानता और सतत विकास और विकसित भारत की नींव रखता है।

मुख्य शब्द (Keywords): ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, पारदर्शिता, विकसित भारत, सुशासन, डिजिटल सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी

1. प्रस्तावना (Introduction)

21वीं सदी को डिजिटल युग कहा जाता है, जहाँ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला है। शासन व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही। पारंपरिक प्रशासनिक ढाँचे, जो कभी कागज़, फाइलों और कार्यालयों तक सीमित थे, आज डिजिटल नेटवर्क, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशनों में बदलाव हो चुके हैं। इस परिवर्तन को ही हम ई-गवर्नेंस (E-Governance) कहते हैं अर्थात् शासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ताकि शासन अधिक पारदर्शी, त्वरित, सुलभ और उत्तरदायी बन सके। ई-गवर्नेंस का मूल उद्देश्य शासन तथा जनता के बीच की दूरी को कम करना है। यह नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक "कभी भी, कहीं भी" पहुँच प्रदान करता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहाँ भौगोलिक, भाषाई और सामाजिक विविधता अत्यधिक है। ई-गवर्नेंस एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जो शासन को समावेशी और समान बनाता है। यह केवल तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि प्रशासनिक तथा सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन (2015), ई-क्रांति योजना, आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), भारतनेट परियोजना, और MyGov

प्लेटफॉर्म जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से ई-गवर्नेंस को एक सशक्त जन-आंदोलन के रूप में विकसित किया है। इन पहलों ने न केवल सरकारी कार्यों को सरल बनाया है, बल्कि नागरिकों को शासन में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया है।

आज ई-गवर्नेंस, विकसित भारत 2047 की दिशा में बढ़ते भारत के लिए एक आधारशिला बन चुका है।, अपितु सामाजिक न्याय, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित करता है साथ ही, यह ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल पहुँच बनाकर डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहित करता है जिससे विकास केवल शहरों तक सीमित न रहकर समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। ई-गवर्नेंस भारत के प्रशासनिक ढाँचे में वह परिवर्तन है जिसने शासन को "जन-केन्द्रित", "प्रौद्योगिकी-आधारित" और "पारदर्शी" बनाया है। यह केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि सुशासन (Good Governance) की भारतीय परंपरा को आधुनिक रूप देने वाला नवाचार है जो "विकसित भारत" के निर्माण की दिशा में भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है।

2. ई-गवर्नेंस की अवधारणा (Concept of E-Governance)

'ई-गवर्नेंस' शब्द दो प्रमुख घटकों से मिलकर बना है- 'Electronic' अर्थात् सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology – ICT) का उपयोग, और 'Governance' अर्थात् शासन, प्रशासन या निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया। जब ये दोनों तत्व एक साथ मिलते हैं, तो एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण होता है जिसमें तकनीकी साधनों का उपयोग करके शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सहभागी और उत्तरदायी बनाया जाता है। ई-गवर्नेंस की मूल भावना इस विचार में निहित है कि तकनीक के माध्यम से शासन को जनता के निकट लाया जाए। यह शासन की पारंपरिक प्रणाली को आधुनिक रूप प्रदान करती है, जहाँ सूचना के प्रवाह, निर्णय-प्रक्रिया और सेवा वितरण में डिजिटल साधनों की केंद्रीय भूमिका होती है। ई-गवर्नेंस केवल सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन रूपांतरण तक सीमित नहीं है, अपितु यह शासन की संवेदनशीलता (responsiveness) और उत्तरदायित्व (accountability) को भी सशक्त करता है।

विश्व बैंक के अनुसार, "ई-गवर्नेंस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग कर अपनी कार्यक्षमता, निष्पक्षता , जवाबदेही और सेवा वितरण में सुधार लाती है।" ई-गवर्नेंस का लक्ष्य केवल तकनीकी दक्षता प्राप्त करना नहीं है, अपितु जनता को सशक्त बनाना और शासन में उनका विश्वास बढ़ाना भी है। ई-गवर्नेंस का दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें सरकार और नागरिक (G2C), सरकार और व्यवसाय (G2B), सरकार और सरकार (G2G), तथा सरकार और कर्मचारी (G2E) के बीच डिजिटल माध्यमों से संवाद और सेवा विनिमय शामिल है। यह प्रणाली समय और स्थान की सीमाओं को समाप्त करती है, जिससे नागरिकों को "कभी भी, कहीं भी" सेवाएँ प्राप्त हो सकती हैं।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में, जहाँ जनसंख्या अधिक और संसाधन सीमित हैं, ई-गवर्नेंस एक क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में उभरी है। यह भ्रष्टाचार को घटाने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनता की सहभागिता निश्चित करने का माध्यम बन चुकी है। वस्तुतः, ई-गवर्नेंस लोकतंत्र की उस भावना को साकार करती है जिसमें शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के माध्यम से संचालित होता है और यही इसे विकसित भारत की दिशा में एक निर्णायक तत्व बनाता है।

3. भारत में ई-गवर्नेंस का विकास (Evolution of E-Governance in India)

भारत में ई-गवर्नेंस का विकास एक दीर्घ और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसने पिछले चार दशकों में शासन की प्रकृति तथा जनता के साथ उसके संबंधों को मूल रूप से बदलाव कर दिया है। इसकी शुरुआत प्रशासनिक कार्यों

में कंप्यूटर तकनीक के प्रयोग से हुई और आज यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सहभागिता तक पहुँच चुकी है। ई-गवर्नेंस का विकास केवल तकनीकी नवाचार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार, नागरिक सशक्तिकरण और निष्पक्षता की दिशा में भारत के सतत प्रयासों का परिणाम है।

भारत में ई-गवर्नेंस की यात्रा 1980 के दशक में आरंभ हुई, जब सरकारी विभागों ने सीमित रूप से कंप्यूटरों का उपयोग शुरू किया। यह दौर कंप्यूटरीकरण चरण कहलाता है। इस काल में सूचना संग्रह, लेखा प्रबंधन, वेतन वितरण और आँकड़ों के रखरखाव के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया। 1987 में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) की स्थापना और NICNET नेटवर्क का आरंभ भारत सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस की पहली ठोस पहल थी। इसी काल में रेलवे की आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिसने नागरिकों के साथ सरकारी सेवाओं के डिजिटल संपर्क की शुरुआत की। 1990 से 2000 के दशक के बीच ई-गवर्नेंस ने नेटवर्किंग चरण में प्रवेश किया। इस अवधि में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) और DISNIC परियोजना के माध्यम से विभिन्न जिलों और मंत्रालयों को नेटवर्क के ज़रिए जोड़ा गया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर डेटा साझा करना, सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था। इसने ई-गवर्नेंस को स्थानीय स्तर तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया। सन् 2000 से 2010 तक का काल ई-गवर्नेंस के लिए निर्णायक रहा। इसे वेब-आधारित शासन चरण कहा जाता है। इस समय इंटरनेट सेवाओं का तीव्र विस्तार हुआ और सरकार ने सेवा वितरण के लिए ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग प्रारंभ किया। 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 27 मिशन मोड परियोजनाएँ लागू की गईं। इनमें पासपोर्ट सेवा, आयकर ई-फाइलिंग, भू-अभिलेख डिजिटलीकरण (Bhoomi Project) और पंचायत सेवाओं का कंप्यूटरीकरण जैसी पहलें शामिल थीं। इस चरण में नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच प्राप्त हुई, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई।

वर्ष 2015 के बाद भारत ने डिजिटल शासन चरण में प्रवेश किया, जिसने ई-गवर्नेंस को एक नई ऊँचाई पर पहुँचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ हुआ, जिसने शासन को नागरिक-केंद्रित और सहभागी रूप दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन तथा मोबाइल आधारित बनाना तथा ग्रामीण भारत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना था। इस अवधि में UMANG ऐप, MyGov प्लेटफॉर्म, GeM पोर्टल, भारतनेट योजना और ई-क्रांति कार्यक्रम जैसी पहलें शुरू हुईं, जिन्होंने प्रशासनिक क्रियाओं को तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया।

आज ई-गवर्नेंस केवल एक तकनीकी व्यवस्था नहीं रह गई है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की एक नई परिभाषा बन चुकी है ऐसी शासन प्रणाली, जिसमें नागरिक केवल शासन के उपभोक्ता नहीं बल्कि सहभागी भी हैं। भारत में ई-गवर्नेंस का यह विकास देश को "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा है, जहाँ शासन न केवल डिजिटल होगा बल्कि समावेशी, पारदर्शी और न्यायसंगत भी होगा।

4. ई-गवर्नेंस के उद्देश्य (Objectives of E-Governance)

ई-गवर्नेंस का मूल उद्देश्य शासन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल, सहभागी और उत्तरदायी बनाना है। यह केवल तकनीकी सुधार का माध्यम नहीं, बल्कि शासन की उस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है जो नागरिकों को प्रशासन के केंद्र में रखती है। ई-गवर्नेंस का लक्ष्य यह निश्चित करना है कि सरकारी सेवाएँ सभी जनता तक समान रूप से, तेज़ी से और बिना किसी मध्यस्थ के पहुँचें, जिससे शासन में विश्वास और जवाबदेही की भावना मजबूत हो।

ई-गवर्नेंस की सबसे प्रमुख आकांक्षा शासन में निष्पक्षता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को सुदृढ़ करना है। परंपरागत शासन प्रणाली में सूचना का प्रवाह सीमित और नियंत्रित होता था, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यप्रणाली की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती थी। ई-गवर्नेंस इस अवरोध को समाप्त करता है। डिजिटल

पोर्टलों, वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार की योजनाएँ, नीतियाँ, बजट और परिणाम अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इससे नागरिक न केवल सरकार के निर्णयों से अवगत रहते हैं, बल्कि उन पर निगरानी भी रख सकते हैं।

ई-गवर्नेंस का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी (Participation) और सशक्तिकरण (Empowerment) को बढ़ाना है। डिजिटल माध्यमों ने नागरिकों को शासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ने का अवसर दिया है। MyGov प्लेटफॉर्म जैसे पोर्टल नागरिकों को नीति निर्माण और प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार शासन केवल "सरकार से जनता तक" की प्रक्रिया न रहकर "जनता से सरकार तक" का संवाद बन गया है। सेवा वितरण को तेज़, प्रभावी और सुलभ बनाना भी ई-गवर्नेंस का केंद्रीय उद्देश्य है। पहले सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, फाइलें महीनों तक लंबित रहती थीं, और प्रक्रिया जटिल थी। लेकिन ई-गवर्नेंस ने इस स्थिति को बदल दिया है। अब पासपोर्ट, आयकर, भूमि रिकॉर्ड, पेंशन, और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी सेवाएँ कुछ क्लिक में उपलब्ध हैं। इसने समय, संसाधन और श्रम की बड़ी बचत की है।

ई-गवर्नेंस का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार में कमी लाना है। जब सेवाएँ ऑनलाइन और पारदर्शी होती हैं, तो बीच के बिचौलियों और अनावश्यक हस्तक्षेप की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी योजनाओं ने इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, जहाँ लाभ सीधे नागरिकों के बैंक खातों में पहुँचता है। साथ ही, ई-गवर्नेंस का एक सामाजिक उद्देश्य डिजिटल विभाजन (Digital Divide) को समाप्त करना है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी असमानता को दूर कर समस्त जनता को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करता है। भारतनेट परियोजना जैसी योजनाएँ इसका सशक्त उदाहरण हैं, जिनके माध्यम से देश के लाखों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। अंततः, ई-गवर्नेंस कागज़ रहित शासन (Paperless Governance) की दिशा में भी अग्रसर है। यह पर्यावरण संरक्षण और दक्ष प्रशासन दोनों के लिए उपयोगी है। ई-फाइलिंग, डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसी प्रक्रियाएँ न केवल सरकारी कार्यों को तेज़ बनाती हैं, बल्कि संसाधनों की बचत भी करती हैं। ई-गवर्नेंस का उद्देश्य शासन को केवल तकनीकी रूप से आधुनिक बनाना नहीं है, बल्कि उसे अधिक मानवीय, सहभागी, और नागरिक-हितैषी बनाना है। यह उस आदर्श की ओर अग्रसर करता है जहाँ शासन जनता के लिए, जनता के साथ, और जनता के माध्यम से संचालित होता है और यही सुशासन (Good Governance) का वास्तविक स्वरूप है।

5. भारत में प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलें (Major Initiatives in India)

भारत में ई-गवर्नेंस का विकास केवल तकनीकी सुधार का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें सरकार ने नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता, और उत्तरदायित्व को केंद्र में रखकर अनेक नवोन्मेषी पहलें शुरू कीं। इन पहलों ने शासन की पारंपरिक प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यमों में रूपांतरित किया है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक सरल, त्वरित और विश्वसनीय पहुँच प्राप्त हुई है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया "डिजिटल इंडिया मिशन" ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सबसे व्यापक और परिवर्तनकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराना, और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। इस मिशन ने सरकारी प्रक्रियाओं को कागज़ रहित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाया है। इसके तहत *ई-ऑफिस, ई-हॉस्पिटल, ई-डिस्ट्रिक्ट* और *कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs)* जैसी सेवाएँ स्थापित की गईं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाएँ प्रदान करती हैं। UMANG (Unified Mobile Application for New-Age Governance) इस दिशा में एक

महत्वपूर्ण कदम है। यह एक ऐसा एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन है जो नागरिकों को 2000 से अधिक सरकारी सेवाएँ एक ही मंच पर प्रदान करता है। इसमें पासपोर्ट, पेंशन, आयकर, स्वास्थ्य सेवाएँ, और छात्रवृत्ति जैसी अनेक सेवाएँ शामिल हैं। इससे शासन की प्रक्रिया नागरिकों के मोबाइल तक पहुँच गई है, जो सच्चे अर्थों में "शासन आपके हाथों में" की परिकल्पना को साकार करता है।

ई-क्रांति कार्यक्रम भी डिजिटल इंडिया मिशन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य तकनीकी नवाचारों के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार और शासन की दक्षता को बढ़ाना है। इसने ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-कृषि और ई-न्याय जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणाली ने पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किया। आधार के माध्यम से नागरिकों की पहचान सुनिश्चित कर सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाए जाने लगे, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। इस पहल ने "न्यायसंगत वितरण" और "पारदर्शी शासन" की अवधारणा को व्यवहारिक रूप दिया।

भारतनेट परियोजना ग्रामीण भारत के डिजिटलीकरण का आधारस्तंभ है। इस योजना के अंतर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, और ई-सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके। MyGov प्लेटफॉर्म नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जहाँ नागरिक नीति निर्माण, सुझाव देने और शासन में सहभागिता का अवसर प्राप्त करते हैं। इसने शासन को एकतरफा प्रक्रिया से सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित किया है। GeM (Government e-Marketplace) एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी सरकारी खरीद मंच है, जहाँ विभिन्न सरकारी विभाग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। इसने न केवल प्रक्रिया को सरल बनाया है बल्कि लागत में भी उल्लेखनीय कमी लाई है।

अंततः, PM गति शक्ति पोर्टल अवसंरचना विकास के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक डिजिटल मंच है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की विकास परियोजनाओं को एकीकृत करता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग हो सके और योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित हो। भारत में ई-गवर्नेंस की ये पहलें केवल डिजिटल कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे शासन मॉडल की नींव रखती हैं जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी और तकनीकी रूप से सशक्त है। इन पहलों ने भारत को उस दिशा में अग्रसर किया है जहाँ नागरिक केवल शासन के लाभार्थी नहीं, बल्कि उसके सक्रिय सहभागी बन चुके हैं — और यही "विकसित भारत 2047" की आत्मा है।

6. ई-गवर्नेंस की चुनौतियाँ (Challenges in Implementation)

भारत में ई-गवर्नेंस का स्वरूप जितना व्यापक और परिवर्तनकारी है, उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और बहुआयामी है। यद्यपि सरकार ने डिजिटल इंडिया और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शासन को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, फिर भी इसके समुचित और समान रूप से कार्यान्वयन के सामने कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ये चुनौतियाँ केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक, संरचनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी मौजूद हैं।

सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल विभाजन (Digital Divide) की है, जो भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट की पहुँच और डिजिटल साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक है, वहीं ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं का अभाव है। वहाँ न तो पर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी है, न ही स्मार्ट उपकरण या प्रशिक्षण प्राप्त मानव संसाधन। इस असमानता के कारण ई-गवर्नेंस के लाभ समान रूप से सभी नागरिकों तक नहीं पहुँच पाते, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ और गहरी हो सकती हैं।

दूसरी प्रमुख चुनौती साइबर सुरक्षा (Cyber Security) से संबंधित है। ई-गवर्नेंस पूरी तरह डिजिटल डेटा और नेटवर्क सिस्टम पर आधारित है, जहाँ सूचना का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। डेटा चोरी, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग जैसी घटनाएँ इस प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा नीति, डेटा एन्क्रिप्शन और प्रभावी डिजिटल निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

एक और महत्वपूर्ण चुनौती तकनीकी ज्ञान के अभाव (Lack of Technical Literacy) की है। भारत में अब भी बड़ी संख्या में नागरिक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल तकनीक के उपयोग में दक्ष नहीं हैं। वहीं, कई सरकारी कर्मचारियों को भी ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों और सॉफ्टवेयर के उपयोग का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है। इससे नई प्रणालियों को अपनाने में विलंब होता है और सेवा वितरण की गति प्रभावित होती है।

ई-गवर्नेंस की सफलता के लिए केवल तकनीकी ढाँचा पर्याप्त नहीं है; प्रशासनिक मानसिकता में बदलाव भी आवश्यक है। लेकिन भारत में अब भी कई स्तरों पर पारंपरिक प्रशासनिक दृष्टिकोण (Traditional Bureaucratic Mindset) विद्यमान है, जो तकनीकी नवाचारों को अपनाने में हिचकिचाता है। यह मानसिकता बदलाव की प्रक्रिया को धीमा करती है और नई तकनीकों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है।

अंततः, भौतिक अवसंरचना (Physical Infrastructure) की कमजोरी भी ई-गवर्नेंस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई राज्यों में अभी भी बिजली आपूर्ति अस्थिर है, नेटवर्क कवरेज अधूरा है, और सर्वर क्षमता सीमित है। इन मूलभूत ढाँचागत कमियों के कारण डिजिटल सेवाएँ बाधित होती हैं और नागरिकों का अनुभव नकारात्मक होता है।

इन सभी चुनौतियों के बावजूद, यह भी सत्य है कि भारत ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। सरकार के प्रयासों ने इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया है, लेकिन समावेशी और सतत विकास निश्चित करने के लिए इन बाधाओं का समाधान आवश्यक है। जब तक डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, और डिजिटल साक्षरता के बीच संतुलन स्थापित नहीं होगा, तब तक ई-गवर्नेंस की पूर्ण क्षमता का लाभ राष्ट्र को नहीं मिल पाएगा। अतः इन चुनौतियों का समाधान न केवल तकनीकी उपायों से, बल्कि सामाजिक जागरूकता, नीति-सुधार, और संस्थागत सहयोग से संभव है।

7. ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने के सुझाव (Suggestions for Strengthening E-Governance)

भारत में ई-गवर्नेंस ने शासन की पारंपरिक प्रणाली को आधुनिक डिजिटल संरचना में परिवर्तित किया है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता और समावेशिता को और सशक्त बनाने के लिए कुछ ठोस और व्यावहारिक कदम आवश्यक हैं। ई-गवर्नेंस केवल तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि यह नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता, और सहभागी लोकतंत्र की दिशा में एक निरंतर यात्रा है। अतः इसके सशक्तीकरण के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

सबसे पहले, डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure) को दृढ़ बनाना ई-गवर्नेंस की सफलता की आधारशिला है। जब तक देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत तक उच्च गति इंटरनेट, सर्वर कनेक्टिविटी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ नहीं पहुँचेंगी, तब तक डिजिटल सेवाओं का समुचित लाभ ग्रामीण भारत तक नहीं पहुँच सकेगा। *भारतनेट परियोजना* इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को और तेज़ और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है कोई भी क्षेत्र डिजिटल रूप से पिछड़ा न रह जाए।

इसके साथ ही, डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। केवल तकनीक उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि नागरिकों को उसका सही उपयोग सिखाना भी आवश्यक है। *प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)* जैसे कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि हर

नागरिक – चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का किसान हो या शहरी मजदूर – डिजिटल माध्यमों का सहजता से उपयोग कर सके।

ई-गवर्नेंस के सशक्तीकरण के लिए साइबर सुरक्षा (Cyber Security) और डेटा संरक्षण (Data Protection) पर विशेष ध्यान देना भी अनिवार्य है। जैसे-जैसे सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन हो रही हैं, वैसे-वैसे नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा और सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसके लिए सख्त साइबर कानूनों, डेटा एन्क्रिप्शन, और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता है ताकि नागरिकों का विश्वास शासन प्रणाली में बना रहे।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू है सरकारी अधिकारियों का तकनीकी प्रशिक्षण (Capacity Building of Bureaucracy)। कई बार नई प्रणालियाँ तकनीकी जटिलता के कारण प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पातीं। यदि सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से ICT और ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्मों का प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे इन सेवाओं को अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ लागू कर सकते हैं।

ई-गवर्नेंस को अगले स्तर तक ले जाने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), ब्लॉकचेन (Blockchain) और क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Technology) का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इन तकनीकों से निर्णय-निर्माण अधिक डेटा-संचालित, पारदर्शी और त्वरित हो सकता है। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन तकनीक भूमि अभिलेखों या सार्वजनिक खरीद प्रणाली में भ्रष्टाचार और हेराफेरी को पूरी तरह समाप्त कर सकती है।

अंततः, ई-गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन में सार्वजनिक–निजी सहभागिता (Public-Private Partnership – PPP) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता, नवाचार और संसाधनों की प्रचुरता है, जबकि सरकार के पास नीति निर्माण और सेवा वितरण की क्षमता है। दोनों के समन्वय से न केवल डिजिटल परियोजनाओं की गति बढ़ाई जा सकती है, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता और स्थायित्व भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

संक्षेप में, ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाना केवल सरकार का कार्य नहीं, बल्कि यह समाज के प्रत्येक हिस्से की सामूहिक जिम्मेदारी है। मजबूत डिजिटल अवसंरचना, नागरिक सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और नवाचार पर आधारित यह मॉडल ही भारत को *विकसित भारत 2047* के उस डिजिटल भविष्य की ओर ले जाएगा, जहाँ शासन वास्तव में "जन-केन्द्रित, पारदर्शी और उत्तरदायी" होगा।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

ई-गवर्नेंस भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसने शासन की पारंपरिक अवधारणा को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित किया है। यह केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि शासन की आत्मा में एक गहरा परिवर्तन है — ऐसा परिवर्तन जो नागरिकों को शासन के केंद्र में स्थापित करता है। ई-गवर्नेंस ने "जनता के लिए शासन" की धारणा को "जनता के साथ शासन" में परिवर्तित कर दिया है, जहाँ हर नागरिक नीति निर्माण और सेवा वितरण की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी बन गया है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहाँ भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक विविधताएँ अत्यधिक हैं, ई-गवर्नेंस इन विविधताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। इसने न केवल प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की है, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक विश्वास को भी सुदृढ़ किया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से शासन अब नागरिकों के द्वार तक पहुँच चुका है चाहे वह ग्रामीण किसान हो, शहरी युवा हो या महिला उद्यमी। इससे शासन की पहुँच व्यापक हुई है और सेवा वितरण अधिक न्यायसंगत व त्वरित हुआ है।

"विकसित भारत 2047" की परिकल्पना को साकार करने में ई-गवर्नेंस की भूमिका केंद्रीय है। जब डिजिटल शासन के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचेंगे विशेष रूप से उन वर्गों तक जो अब तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहे

हैं तभी भारत वास्तविक अर्थों में विकसित राष्ट्र बन सकेगा। डिजिटल सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और तकनीकी नवाचार का यह संयोजन भारत को उस दिशा में अग्रसर कर रहा है जहाँ शासन केवल शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा और साझेदारी का प्रतीक बन जाएगा। इस प्रकार, ई-गवर्नेंस केवल तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि "जन-सेवा की नई परिभाषा" है। यह ऐसा शासन मॉडल है जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित है जो न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह भारत की उस नई पहचान का प्रतीक है, जहाँ शासन और नागरिक एक-दूसरे के सहयोगी बनकर डिजिटल, समावेशी और विकसित भारत की नींव रख रहे हैं।

संदर्भ (References)

1. भारत सरकार। (2015)। *डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: पावर टू एम्पावर*।इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)। https://digitalindia.gov.in
2. भारत सरकार। (2022)। *राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP): शासन का रूपांतरण*। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. विश्व बैंक। (2023)। *ई-गवर्नमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट*। वाशिंगटन, डी.सी.: द वर्ल्ड बैंक ग्रुप।
4. संयुक्त राष्ट्र। (2022)। *ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण 2022: द फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट*। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग।
5. नेशनल इंफॉरमैटिक्स सेंटर। (2021)। *NICNET: द डिजिटल बैकबोन ऑफ गवर्नेंस*। नई दिल्ली: एनआईसी प्रकाशन।
6. सिंह, आर. (2021)। *डिजिटल इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस*। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन।
7. शर्मा, एस., एवं गुप्ता, पी. (2020)। भारत में ई-गवर्नेंस: चुनौतियाँ और संभावनाएँ। *जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी रिसर्च,* 12(3), 45–58.
8. मिश्रा, आर. के. (2019)। *ई-गवर्नेंस: अवधारणाएँ और भारतीय संदर्भ में अध्ययन*। नई दिल्ली: पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लि.
9. सक्सेना, के. बी. सी. (2020)। भारत में ई-गवर्नेंस: नीति से व्यवहार तक। *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,* 66(4), 553–570.
10. भटनागर, एस. (2018)। *आईसीटी और ई-गवर्नेंस: शासन में सूचना प्रौद्योगिकी का स्रोतपुस्तक*। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन।
11. प्रेस सूचना ब्यूरो। (2023)। *डिजिटल इंडिया की उपलब्धियाँ: आठ वर्षों की परिवर्तन यात्रा*। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार।
12. ओईसीडी (OECD)। (2021)। *डिजिटल गवर्नमेंट इंडेक्स 2021: सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन*। पेरिस: ओईसीडी पब्लिशिंग।
13. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। (2016)। *ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0* । भारत सरकार।
14. चौधरी, ए., एवं भट्टाचार्य, पी. (2020)। भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण के रूपांतरण में ई-गवर्नेंस की भूमिका। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजिटल सोसाइटी,* 11(2), 55–68.
15. अग्रवाल, एस. (2022)। ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटना: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ। *एशियन जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज,* 9(1), 77–89.

16. गुप्ता, वी., एवं सिंह, एम. (2023)। भारत में समावेशी विकास पर डिजिटल शासन का प्रभाव। *कॉन्टेम्परेरी सोशल साइंस रिव्यू*, 14(2), 101–118.